


-2020 पत्रावली पेशा हुई रक-रक कर
तीन वार आवाज दिलाई गई न तो पक्षकारों
उपस्थित हैं जोर न ही अभिभाषक
ऐसी स्थिति में न्यायालय इस प्रकार
को आगे जबरन रखना उचित नहीं
समझता है।

अतः पत्रावली अदम राजरी अदम परवी
में खारिज किया जाता है पत्रावली
केवल शुमार लेकर नम्बर से कम की
जावे।

निर्णय आज दिनांक 17-12-2020 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उप सचिव अधिकारी
मंगरोल जिला बरौ (स. 11)

